UPET010042752020

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, एटा।
उपस्थित- रीमा मल्होत्रा उच्चतर न्यायिक सेवा

सत्र परीक्षण संख्या-493/2016
राज्य बनाम पंकज शर्मा
JO Code-UP 1685

-आदेश-

08-12-2020

1- पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

2- उभयों पक्षों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। प्रार्थी /वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-319 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी घटना का चश्मदीद गवाह है। दिनांक-13-07-2016 को पूर्वाहन् प्रार्थी की बहन शीतल की बारात चढ़कर दरवाजे की तरफ आ रही थी। उसी समय प्रार्थी के बाबा सुरेन्द्र शर्मा आये और कहा कि दरवाजा तुम्हारे घर के सामने गली में नहीं होगा। प्रार्थी व उसके भाई शिवम ने कहा कि दरवाजे पर रस्म अदा कर लेने दो। इस पर प्रार्थी के बाबा सुरेन्द्र शर्मा गाली-गलौज करने लगे। प्रार्थी के बाबा सुरेन्द्र शर्मा अपने पुत्र पंकज शर्मा को लेकर आ गये तथा पंकज शर्मा ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के भाई शिवम उर्फ लालू पर फायर कर दिया जो उसकी पीठ में लगा। फायर लगते ही शिवम घायल होकर गिर गया। इस घटना को प्रार्थी के अलावा शिवम उर्फ लालू, बहनोई विशाल शर्मा, पिता जयप्रकाश व अन्य मौजूद लोगों ने देखा। घायल अवस्था में भाई शिवम को ले जाकर प्रार्थी ने थाना कोतवाली देहात एटा से मजबूरी चिट्ठी लेकर इलाज हेतु दाखिल किया तथा घटना की तहरीर प्रार्थी ने थाना कोतवाली देहात एटा में दर्ज करायी। प्रार्थी के भाई शिवम को आगरा में एस०एन० मेडीकल कॉलेज में ले जाया गया वहाँ से मना करने पर उसे माँ भगवती अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवम को कोमलांग पर गोली लगी थी जिससे उसकी एक पसली की हड्डी टूट गयी तथा फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त हो गया तथा आठ दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद शिवम रिश्तेदारी में अलगीढ़ रहकर ड़ेढ महीने तक इलाज कराता रहा। विवेचना के दौरान विवेचक ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में भी घटना का पूरा समर्थन किया प्रार्थी के पिता घटना स्थल पर मौजूद थे उन्होंने भी 161 दं०प्र०सं० घटना का समर्थन किया। अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा व पंकज शर्मा आपस में बाप-बेटे हैं तथा घायल शिवम एवं प्रार्थी के बाबा है। प्रार्थी ने इससे पूर्व धारा -319 दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया था। तब प्रार्थी के बयान के अलावा घायल शिवम के बयान नहीं हुए थे तथा अब घायल शिवम की मुख्य परीक्षा दिनांक-26-04-2018 हो चुकी है। धारा-319 दं०प्र०सं० के निस्तारण के समय यह जरूरी नहीं है कि इस गवाह की प्रतिपरीक्षा हो जाने के बाद ही धारा-319 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाये, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार धारा-319 दं०प्र०सं० के निस्तारण के समय गवाह की मुख्य परीक्षा एवं तथ्य के गवाहों के बयान केस डायरी में अंकित हुए निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। उपरोक्त केस में अभियोजन साक्षी संख्या-01 विनीत

कुमार जो घटना का चश्मदीद साक्षी है तथा घायल शिवम उर्फ लालू अभियोजन साक्षी संख्या-02 रूप में बयान दर्ज हो चुके हैं। इसलिए न्यायहित में सुरेन्द्र शर्मा को सहअभियुक्त पंकज शर्मा के साथ विचारण करने के लिए तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक-23-03-2018 को प्रार्थना पत्र यह कहकर निरस्त कर दिया था कि अभी घायल का बयान नहीं हुआ और प्रार्थी चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा उपरोक्त केस का मुख्य अभियुक्त है तथा पुलिस द्वारा अनुचित लाभ लेकर निकाल दिया गया है जो लगातार गवाहान व प्रार्थी को धमका रहा है। दिनांक-13-03-2018 को जब प्रार्थी तारीख करके अपने घर जा रहा था तो शाम के पाँच सुरेन्द्र शर्मा ने कुछ लोगों के साथ प्रार्थी व उसके पिता को रास्ते में घेरकर गंदी -गंदी गालियाँ दी एवं मुकदमें की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी। सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि गवाही दी तो बलात्कारी जैसे संगीन अपराध में फंसा देंगे। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने दिनांक-15-03-2018 को प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को रजिस्ट्री के जरिये भेजा। अतः मुख्य अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा को सह अभियुक्त पंकज शर्मा के साथ विचारण करने के लिए तलब करने की याचना की गयी है।

3- प्रार्थी/वादी मुकदमा के इस प्रार्थना पत्र के आलोक में पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

4- प्रार्थी/वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र में अभियुक्त अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा पुत्र सूबेदार एवं सहअभियुक्त पंकज शर्मा को उनके द्वारा कारित अपराध हेतु समन कर उनका विचारण किये जाने की याचना की गयी है।

5- धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत किस भी व्यक्ति को बतौर अभियुक्त आहूत कर उसका विचारण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने अद्यतन विधि व्यवस्था ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 2 एस०सी०सी० (क्रि०) पेज 86*** में व्यवस्था दी है। इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त के साथ अन्य व्यक्तियों को समय कर बतौर अभियुक्त उनका विचारण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं जो इस प्रकार हैः-

(i)- केवल विचारण प्रारंभ हो जाने के उपरान्त एवं साक्ष्य जारी रहने के दौरान ही न्यायालय दं०प्र०सं० की धारा 319 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आहूत कर सकते हैं जिसका प्रथम सचूना आख्या में नाम न हो या प्रथम सूचना आख्या में नाम हो परंतु चार्जशीट में नाम न हो अर्थात दौरान विवेचना उसका नाम अभियुक्त से हटा दिया हो।
(ii)- न्यायालय धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग केवल ***मुख्य परीक्षा*** पूर्ण होने के उपरान्त ही कर सकती है। ***प्रतिपरीक्षा*** कराया जाना आवश्यक नहीं है। यानी साक्षी की प्रतिपरीक्षा पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। यह न्यायालय की संतुष्टि पर निर्भर करता है। न्यायालय को अपनी इस संतुष्टि के सम्बंध में कारण उल्लिखित करना होगा।
(iii)- यद्यपि की विचारण के दौरान साक्ष्य में प्रथम दृष्टया केस ही स्थापित करना होता है परंतु यह साक्ष्य मजबूत साक्ष्य होना चाहिए न कि केवल सह अभियुक्तता की सम्भाव्यता हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया किः-

Sec. 319 CrPC- The word evidence in Sec.319 CrPC has to be broadly understood and not literally ie. as evidence brought during a trial.

The degree of satisfaction that will be required for summoning a person under section 319 CrPC would be the same as for framing a charge.

6- निर्णय विधि ब्रिजेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2017 (100) ए.सी.सी. 601 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि:-

Sec. 319 CrPC Exercise of power under- can be made by the trial court at any stage of trial if the trial court finds that there is some evidence against such a person that he is guilty of offence – such power to be exercised sparingly and only when there is strong and cogent evidence against the person- prima facie opinion to be formed requires stronger evidence than mere probability of his complicity.

7- उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का परिशीलन किया जाना आवश्यक है।

8- प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा - 319 दं०प्र०सं० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक-23-03-2018 को करते हुए उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

9- वादी मुकदमा द्वारा थाने में जो ***तहरीर कागज संख्या-5 अ*** प्रस्तुत की गयी गई थी जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी की बहन शीलत की बरात ग्राम देहली बुजुर्ग से दिनांक-12-07-2016 को आयी हुई थी। समय करीब रात्रि के 12:30 बजे बरात चढ़कर दरवाजे पर पहुँची उस समय प्रार्थी व उसका भाई शिवम दरवाजे की रस्म अदा होने की तैयारी कर रहे थे तभी पड़ोसी सुरेन्द्र शर्मा माँ-बहन की गाली-गलौज करने लगे और दरवाजे की रस्म अदा करने से मना करने लगे कि गली में प्रोग्राम नहीं होगा। सुरेन्द्र शर्मा ने अपने पुत्र पंकज शर्मा से कहा कि सालों को जिंदा मत छोड़ना। सालों को गोली मारकर कबूतर सा उड़ा दो। इतने पर ही पंकज शर्मा ने प्रार्थी के भाई शिवम की पीठ पर 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी, गोली लगते ही शिवम घायल होकर जमीन पर गिर गया। तथाकथित घटना में अभियुक्त पंकज शर्मा के पिता सुरेन्द्र शर्मा का नाम अंकित करते हुए वादी मुकदमा द्वारा वादी मुकदमा द्वारा ***तहरीर*** में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ***"सालों को जिंदा मत छोड़ना। सालों को गोली मारकर कबूतर सा उड़ा दो। "***

10- उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंकज शर्मा एवं सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध प्रथम सूचना आख्या पंजीकृत की गयी। प्रथम सूचना आख्या कागज संख्या-4 अ 1 लगायत 4 अ 2 में इस तथ्य को अंकित किया गया है कि सुरेन्द्र ने कहा कि ***"सालों को जिंदा मत छोड़ना। सालों को गोली मारकर कबूतर सा उड़ा दो। इतने पर ही पंकज शर्मा ने प्रार्थी के भाई शिवम की पीठ पर 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी, गोली लगते ही शिवम घायल होकर जमीन पर गिर गया। मौके पर ही पंकज शर्मा को महिलाओं ने पकड़ लिया।"***

11- विवेचना के पश्चात अभियुक्त मात्र पंकज शर्मा के विरुद्ध धारा -307,504,506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचना के पश्चात सुरेन्द्र शर्मा का नाम आरोप पत्र में नहीं आया।

12- दौरान विचारण वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन साक्षी PW-1 के रूप में स्वंय को दिनांकित-25-09-2017 को परीक्षित कराया गया। PW-1 के साक्ष्य के आधार पर वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 319 दं०प्र०सं० पूर्व में न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा उस प्रार्थना का निस्तारण दिनांक-23-03-2018 को करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित -23-03-2018 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि PW-1 का यह स्पष्ट कथन है कि "***उसके द्वारा इस घटनाक्रम को नहीं देखा गया।" इस गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उक्त घटनाक्रम के सम्बन्ध में उसने अपने घायल भाई शिवम से पूछताछ की थी। जब वादी मुकदमा द्वारा स्वंय घटना को नहीं देखा गया तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में PW-1 के साक्ष्य के आधार पर सुरेन्द्र शर्मा को आहुत किये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया था।***

13- मेरे द्वारा भी गवाह PW-1 वादी मुकदमा के बयान को अवलोकित किया गया गया जिससे परिलक्षित होता है कि वादी मुकदमा ने न ही तो अपनी मुख्य परीक्षा में और न ही तो अपनी प्रति परीक्षा में किसी भी स्तर पर यह कथन किया है कि उसने सुरेन्द्र शर्मा को यह कथन कहते हुए सुना अथवा देखा हो कि ***"सालों को जिंदा मत छोड़ना। सालों को गोली मारकर कबूतर सा उड़ा दो। "*** इसी क्रम में PW-2 शिवम जो कि स्वंय घटना में पीड़ित है , का बयान अंकित किया गया है। PW-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि ***"सुरेन्द्र शर्मा के लड़के का नाम पंकज है। वह इस समय जेल में है। सुरेन्द्र शर्मा ने अपने बेटे पंकज शर्मा से कहा कि यदि दरवाजा लगाने से नहीं मान रहे हैं तो सालो को गोली मार दो। कबूतर सा उड़ा दो। इतने पर ही पंकज ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर किया। "*** इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गवाह PW-2 से जिरह में कोई कथन नहीं पूछा गया जिससे गवाह को यह अवसर मिलता कि वह सुरेन्द्र शर्मा द्वारा फायर करने के कथन को अभियुक्त पंकज शर्मा से कहने के तथ्य को अपनी प्रति परीक्षा में दोहराता।

14- ***वादी मुकदमा*** द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न लिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की है-

(i)- ***राम प्रकाश आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2015(88) ACC 42}*** विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "Section 319 Cr.P.C. springs out of the doctrine judex damnatur cum nocens absolvitur (Judge is condemned when guilty is acquitted) and this doctrine must be used as a beacon light while explainin the ambit and the spirit underlying the enactment of section 319 Cr.P.C..

It is the duty of the Court to do justice by punishing the real culprit. Where the investigating agency for any reason does not array ne of the real culprits as an accused, the Court is not powerless in calling the said accused of face trial.

Section 319 Cr.P.C. allows the Court to proceed against any person who is not an accused in a case before it. Thsu, the person against whom summons are issued in exercise of such powers has to necessarily not to be an accused already facing trial.

(ii)- ***श्रीमती सुशीला आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2015(90) ACC854}*** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस विधि व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 2 एस०सी०सी० (क्रि०)*** अंकित करते हुए उन्ही सिद्धातों को प्रतिपादित किया है जो कि ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य*** की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित किये गये थे।

(iii)- ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 2 एस०सी०सी० (क्रि०)*** की विधि व्यवस्था को मेरे द्वारा पूर्व मे उल्लेखित किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों विधि-व्यवस्थायें प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतः लागू होती है।

15- PW-2 पीड़ित शिवम की मुख्य परीक्षा में सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध अंकित साक्ष्य से यह प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है कि सुरेन्द्र शर्मा घटना स्थल पर उपस्थित था और उसके द्वारा किये गये कृत्य की पुष्टि PW-2 ने अपनी गवाही में की है।

16- वर्तमान स्तर पर PW-1 एवं PW -2 की ***मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा*** पूर्ण हो चुकी है। PW-2 द्वारा सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध कोई कथन अपनी ***प्रति परीक्षा*** में नहीं किया गया है

और इसी आधार पर पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ***कागज संख्या-14 अ*** अंतर्गत धारा- 319 दं०प्र०सं० न्यायालय द्वारा दिनांक-23-03-2018 को निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में pw-2 ने प्रस्तुत किये गये बयान, अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा, उसके द्वारा दी गयी तहरीर एवं प्रथम सूचना आख्या में उल्लिखित सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कहे गये कथन कि पुष्टि अपने बयान की में की है।

17- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था ***हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2014) 2 एस०सी०सी० (क्रि०) पेज 86*** में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि धारा- 319 दं० प्र०सं० के अंतर्गत न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग केवल ***मुख्य परीक्षा*** पूर्ण होने के उपरांत ही कर सकती है। ***प्रति परीक्षा*** कराया जाना आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दो अभियोजन साक्षियों की प्रति परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। PW-2 के अंकित साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया तथाकथित सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध अपराध में संलिप्तता होना प्रतीत होती है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियोजन साक्षी PW-2 के सम्पूर्ण साक्ष्य से एवं माननीय उच्च न्यायालय विधि व्यवस्थायों के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि केवल प्रथमदृष्टया मामला नहीं हो, बल्कि न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। PW-2 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सुरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य अंकित किया गया है जो कि इस स्तर पर अखण्डनीय एवं ठोस साक्ष्य होना परिलक्षित होता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा को प्रस्तुत मामलें विचारण हेतु आहूत किये जाने एवं धारा-307 सपठित 120B में प्रथमदृष्टया दोषी पाया जाने का पर्याप्त आधार होना परिलक्षित होता है। अतः प्रार्थना पत्र कागज संख्या-21 अ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

16- वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या -21 अ अंतर्गत धारा- 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त सुरेन्द्र शर्मा को अंतर्गत धारा--307 सपठित 120B विचारण हेतु आहूत किये जाये और सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक-15-12-2020 को पेश हो।

दिनांक-08-12-2020

(रीमा मल्होत्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय,एटा

Digitally signed by Reema Malhotra
Date: 2020.12.08 17:18:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court